न्यायालयः जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम सह विशेष न्यायाधीश। वैशाली, हाजीपुर।

अग्रिम जमानत आवेदन सं0–2320/2025
बिदुपुर थाना कांड सं0–451/2025

धारा– 137(2), 140(2), 3(5) B.N.S.

05.06.2026 प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन आवेदकगण दिलिप सिंह उर्फ चीना सिंह, बिपिन सिंह उर्फ रंगबाज, उमेश सिंह उर्फ लंगर सिंह, सोनु कुमार उर्फ ढ़ेलवा, संजीव कुमार एवं टिंकु कुमार उर्फ गिगल की ओर से बिदुपुर थाना कांड सं0–451/2025 में गिरफ्तारी की आशंका से दाखिल किया गया है। प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन की प्रति विद्वान अपर लोक अभियोजक, वैशाली, हाजीपुर को प्राप्त है। प्रस्तुत वाद में उभय पक्षों को सुना।

Web Copy not Official

संक्षेप में प्रस्तुत वाद की प्राथमिकी इस प्रकार से है कि सूचक रंधीर सिंह द्वारा टंकित आवेदन थानाध्यक्ष बिदुपुर को इस आशय का दिया गया कि "दिनांक 21.06.2025 को हमलोग हाजीपुर गए थे शाम 06 बजे घर आया तो पता चला कि मेरी छः वर्षीय पोती नाम सरिता कुमारी, पिता–निरज कुमार सिंह लापता है। काफी खोजबीन किया लेकिन कुछ पता नही चला, आस–पास के लोगो से पुछ–ताछ किया तो पता चला कि वह घर के दरवाजे के सामने सड़क पर खेल रही थी कि दिलीप सिंह उर्फ चीना सिंह, बिपीन सिंह उर्फ रंगबाज, उमेश सिंह उर्फ लंगर सिंह, सोनू कुमार उर्फ ढ़ेलवा, संजीव कुमार, टिंकु कुमार उर्फ गिगल अज्ञात अपराधियो के साथ तेज रफतार बलोरो गाड़ी से आय और जबरदस्ती बच्ची को उठाकर ले गए ये सभी गाड़ी से उतर दिशा भागे, इनके साथ चार–पॉच और अपराधी भी थे कुछ ग्रामीण जब पुछने गए तो दिलीप सिंह, उमेश सिंह, बिपिन सिंह कट्टा से फायरिग करने लगे और उनलोगो के साथ धक्का मुक्की करने लगा और बोला कि 20 रूपया दो नही तो बच्ची को हत्या कर फेक देगे ये सभी कुख्यात अपराधी है इनका कई अपराधिक इतिहास भी है।"

आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि आवेदकगण द्वारा पूर्व मे इस न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय मे कोई अग्रिम जमानत आवेदन प्रस्तुत प्राथमिकी के संदर्भ मे दाखिल नही किया है। आवेदक का कुल ग्यारह अपराधिक इतिहास है जिसमे आवेदकगण जमानत पर मुक्त है। आवेदकगण के विरूद्ध झुठा केस किया गया है। आवेदकगण निर्दोष है। आवेदकगण ने टाईटल सूट सूचक एवं उसके परिवार के विरूद्ध दाखिल किया है। सूचक एवं उसके परिवार के द्वारा आवेदकगण के विरूद्ध कई झुठा मुकदमा दर्ज कराया गया है।

न्यायालयः जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम सह विशेष न्यायाधीश। वैशाली, हाजीपुर।

अग्रिम जमानत आवेदन सं0–2320/2025
बिदुपुर थाना कांड सं0–451/2025

आवेदक दिलीप सिंह उर्फ चिना सिंह की पुत्री शाबित्री कुमारी उम्र 6 वर्ष को सूचक एवं उसके परिवाद के सदस्यो द्वारा दिनांक 17.06.2025 को अपहरण कर लिया गया था जिस संदर्भ मे दिलीप सिंह की पत्नी गायत्री देवी ने बिदुपुर थाना कांड सं0–439/2025 दर्ज करायी थी इसी मुकदमा से बचने के लिए यह प्रस्तुत मुकदमा झुठा दर्ज कराया गया है। निरज कुमार सिंह एक पुत्री है जो कि विवाहित है तथा इसके अलावे उसको कोई पुत्री नही है जिसका नाम सरिता कुमारी उम्र–06 वर्ष है। आगे विद्वान अधिवक्ता द्वारा आवेदकगण को अग्रिम जमानत देने हेतु अनुरोध किया गया।

Web copy not official

विद्वान अपर लोक अभियोजक, वैशाली, हाजीपुर द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया गया।

अग्रिम जमानत आवेदन पर उभय पक्षो को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदकगण के उपर प्रत्यक्ष रूप से आरोप है कि उसने 06 वर्षीय अपहता का अपहरण किया है। केस डायरी के कंडिका 05 एवं 06 मे साक्षियो ने घटना का समर्थन किया है। पर्यवेक्षण टिप्पणी से स्पष्ट है कि अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, सदर–1 हाजीपुर ने स्पष्ट रूप से निर्देशित किया है कि अपहता को बरामद किया जाए। अनुसंधान अभी पुर्ण नही हुआ है तथा आवेदकगण का पुर्व मे लगभग ग्यारह मामलो मे अपराधिक इतिहास भी हैं। अतः अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतित नहीं होता है। फलस्वरूप आवेदकगण की ओर से दाखिल प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम–
–सह–विशेष न्यायाधीश,
वैशाली, हाजीपुर।

न्यायालयः जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम सह विशेष न्यायाधीश। वैशाली, हाजीपुर।

अग्रिम जमानत आवेदन सं0–2320/2025
बिदुपुर थाना कांड सं0–451/2025

Date of Judgment/Order	05-06-2026
Date of Reserving Judgment/Order	05-06-2026
Uploading Date	-06-2026
Uploaded by	Pankaj Kumar, D.W.T.C., Vaishali.

Web Copy not Official